

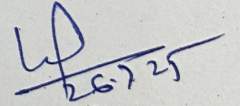
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : शैक्षणिक/3128
दिनांक : 28/7/2015

कार्यालय आदेश

मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 13.05.2025 के मद संख्या 10(2) में पारित संलक्षपानुसार कार्य परिषद के कुछ सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित विभागों में कार्यरत शिक्षकों के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकरणों जैसे सेवा अवधि की गणना आदि में विसंगति के कारण उनको बढा हुआ वेतन देने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। कार्य परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि पूर्व में गठित समिति की रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है तथा यदि इस सम्बन्ध में किसी विभाग में कोई कठिनाई आ रही है, तो उस विभाग/पाठ्यक्रम की विभागीय समिति में नियमानुसार निर्णय लेकर संकायाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव को प्रेषित करें। यदि किसी पाठ्यक्रम में विभागीय समिति नहीं है, तो उस विभाग के समन्वयक एवं संकायाध्यक्ष प्रकरण पर निर्णय लेकर एक सप्ताह में अवगत करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में विसंगतियों को दूर करने का निर्णय लिया गया।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव कुलसचिव को व सचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त संकायाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. समस्त विभागाध्यक्षों/समन्वयकों को सूचनार्थ एवं आवश्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. सम्बंधित पत्रावली।


कुलसचिव